

13/9/2018

सैराम ५३ ली बूला ल

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	13/4/22	<p>पुत्रावली पेश हुई वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं वरन् अदालत वादी व उन्के अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगवर्षी गरी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से वादी का वाद अग्रण हाजरी - आज्ञा पेशी में रवाना किया जाता है। पुत्रावली को सब सुधार देकर फज ग० से कान हो बाद तकमील फारिख दाखल की।</p> <p>उप-खण्ड अधिकारी सयपुर (द्वितीय)</p>

